



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-16012026-269396
CG-CG-E-16012026-269396

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]
No. 198]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2026/पौष 25, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2026/PAUSHA 25, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 15 जनवरी, 2026

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (ई) के अंतर्गत सूचना

का.आ. 220(अ).— केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात (उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन भारत के राज पत्र, असाधारण भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 4446 तारीख 07/10/2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उप बन्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् “बिलासपुर डिवीजन: जयरामनगर-अकलतरा के बीच किमी 694/21-23 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 354 के स्थान पर आरयूबी (बॉक्स पुशिंग विधि द्वारा) का निर्माण” के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन उक्त अधिसूचना क्रमांक 4446 तारीख 07/10/2025 का दैनिक भास्कर (हिन्दी) बिलासपुर संस्करण, सी. जी. एक्सप्रेस (हिन्दी) जांजगीर संस्करण, और टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) रायपुर संस्करण में दिनांक 01.11.2025 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और उक्त अधिनियम कि धारा 20 (ड.) की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 कि धारा 20(ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसंलग्न अनुसूची में लिखित भूमि अधिग्रहित की जाती है;

और यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम कि धारा 20 (ड.) के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लग्रों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

(अ) रेल परियोजना “बिलासपुर डिवीजन: जयरामनगर-अकलतरा के बीच किमी 694/21-23 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 354 के स्थान पर आरयूबी (बॉक्स पुशिंग विधि द्वारा) का निर्माण” के अधिग्रहण के लिए भूमि का संक्षिप्त विवरण.

1. ग्राम – लटिया, तहसील – अकलतरा, जिला – जांजगीर-नैला (छ.ग.)

क्र.	खसरा न.	भूमि का स्वामित्व	भूमि का प्रकार	अर्जित रकबे का क्षेत्र (हे.) में	भूमि स्वामी का नाम
1	258/15	निजी	कृषि	0.001027	पंचकुंवर बेवा बहरता सहोदरा बाई पि. बहरता अनु. जनजाति
2	235/9	निजी	कृषि	0.002903	दिनेश कुमार, भूषण सिंह, शशि पि. गणेश सिंह सुंदरी बाई बेवा गणेश सिंह अश्विनी, सुलोचना पि. गणेश सिंह अनु. जनजाति
3	235/6	निजी	पड़त	0.0006	दीनदयाल पिता जुडाईन सा. देह. भूस्वामी अनु. जनजाति
4	235/3	निजी	पड़त	0.005625	फिरतराम पिता पंचराम सा. देह. भूस्वामी अनु. जनजाति
5	230/3	निजी	पड़त	0.00882	लक्ष्मीनबाई बेवा छतराम, ना. बा. ईश्वर, मेवालाल, उमाशंकर, ओमप्रकाश पि. छतराम दशोदा, कमला, सुशीला पि. छतराम ना. बा. के बली माँ लक्ष्मीन बाई बेवा छतराम सा. देह.
6	229/2	निजी	पड़त	0.000522	गिरजा बाई बेवा उदल ना. बा. विनय कुमार पि. उदल बली माँ गिरजा बाई बेवा उदल गंगामती पि. चैतूराम सा. देह. भूस्वामी अनु. जनजाति
कुल भूमि (लटिया)					0.019497 हे.

[फा. सं. डीवाई.सी.ई./जीएसयू/बीएसपी/आरयूबी /एल.सी.-354/20(ई)/1]

संजय बा. नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**(South East Central Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 15th January, 2026

NOTIFICATION UNDER SECTION 20E OF THE RAILWAY ACT 1989

S.O. 220(E).—Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number 4446, dated 07/10/2025, published in the Gazette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii), hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely **“Bilaspur Divn.: Construction of RUB (by BOX Pushing method) in lieu of manned LC No.354 at Km.694/21-23 bet. JAIRAMNAGAR-AKALTARA.”** in the state of Chhattisgarh.

And, whereas, the substance of the said notification Number 4446, dated 07/10/2025, was published in the daily newspapers, Dainik Bhaskar (Hindi) Bilaspur edition, CG Express (Hindi) Janjgir edition and Times of India (English) Raipur edition, on 01.11.2025 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act,

And whereas, no objection was received within the set time period.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section I) of Section 20E of the said Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances,

A. “Bilaspur Divn.: Construction of RUB (by BOX Pushing method) in lieu of manned LC No.354 at Km.694/21-23 bet. JAIRAMNAGAR-AKALTARA.” Brief description for the acquisition.

1. Village Name – Latia, Tehsil – Akaltara, District – Janjgir-Naila (C.G.)

Sl. No.	Khasra No.	Ownership	Type of Land	Acquired Land Area (in Hect)	Name of Land Owner
1	258/15	Private	Agric.	0.001027	Panchkunwar W/O Baharta Sahodrabai D/O Baharta (Schedule tribe)
2	235/9	Private	Agric	0.002903	Dinesh Kumar, Bhushan Singh, Shashi Father Ganesh Singh Sundaribai W/O Ganesh Singh Ashwini, sulochana Father Ganesh Singh (Schedule tribe)
3	235/6	Private	Fallow	0.0006	Dindayal S/O Judain Sa. Deh Bhuswami (Schedule tribe)
4	235/3	Private	Fallow	0.005625	Firatram S/o Panchram Sa. Deh Bhuswami (Schedule tribe)

5	230/3	Private	Fallow	0.00882	Laxminbai W/o Chhatram Ishwar, Mewalal, Umashankar, Omprakash Father Chhatram Dashoda, Kamla, Shushila Father Chhatram Mother Laxminbai W/o Chhatram Sa. Deh
6	229/2	Private	Fallow	0.000522	Girjabai W/o Udal Vinay Kumar S/o Udal Girjabai W/o Udal Gangamati D/o Chaituram Sa. Deh. Bhuswami (Schedule tribe)
Total Land (Latia)					0.019497 Hac.

[F. No. DY.CE/GSU/BSP/RUB/LC-354/20E/1]

SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C